Duties of Veterinary Doctors

45 Sh. Bishan Lal Saini, M.L.A. (Radaur)

Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state:-

a) the nature of the duties of Veterinary Doctors and Compounders; and

b) whether it is also included in their nature of duty that the abovesaid officials would go to the house of the owners of the animals to take are and treat their animals; if not, whether it is legitimate for them to go to the villages for the treatment of animals after taking fees?

Jai Parkash Dalal, Animal Husbandry & Dairying Minister

a) The Job Chart of Veterinary Surgeons and Veterinary Livestock Development Assistants (VLDAs) is annexed at Annexure - I & II, respectively.

b) No Sir, it is not legitimate for them to go to the villages for the treatment of animals after taking fees.

Annexure-I

JOB CHART for the Post of Veterinary Surgeon (VS)

1. Treatment of indoor and out-door cases, attending the Veterinary Hospital.
2. Ante & Post-Mortem examination of livestock slaughtered at the local slaughter house, when the Municipal Committee does not have the necessary staff.
3. Control of contagious diseases amongst livestock.
4. Castration of unsuitable male livestock in the ilaqa.
5. Livestock Breeding.
6. Propaganda work relating to livestock breeding, feeding and management.
7. Insurance work of Livestock.
8. Identification of high Milk Producer Murrah Buffaloes & their male calves.
9. To organize health care camps, Sterility camps and deworming camps.
10. To implement various National / State Programme / Schemes launched by Government time to time for the welfare of livestock owners and public.
11. To supervise and organize various therapeutic/ prophylactic/ extension works related with mass animals treatments/ vaccination camps.

Annexure-II

JOB CHART for the Post of

Veterinary Livestock Development Assistant (VLDA)

1. Application or administration of the drugs as specified in the "Schedule H" of the Drugs and cosmetics Rules, 1945 under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) strictly as prescribed by a registered veterinary practitioner.
2. Compounding and dispensing of drugs/therapeutic preparations.
3. Rendering preliminary veterinary aid through oral adminsitration of analgesics, antipyretics and other preparations.
4. Performing castration by closed method, de-horning, dis-budding and de-beaking.
5. Assisting Registered Veterinary Practitioner in surgical/gynaecological interventions.
6. Prophylactic Vaccinations of animals.
7. Handling of superficial ailments like wounds, abscesses, external / superficial haemorrhages, superficial burns etc.
8. Washing of mouth, hooves, feet, udder etc. with antiseptic / medicated preparations in conditions like foot and mouth disease, mastitis, stomatitis etc.
9. Collection and dispatch of samples of blood, serum, urine, faeces, semen, milk and other specimens for laboratory examination.
10. Assisting in the surveillance of infectious diseases, laboratory investigations and other related technical works including outbreak control measures.
11. Collect, compile, maintain and report disease related data.
12. Provide veterinary first-aid in cases of various ailments including emergencies namely:-
    a) Lightning Stroke
    b) Sunstroke / frostbite etc
    c) Electric Shock
    d) Poisoning
    e) Snake bite
    f) Drowning
    g) Prolapse of vagina / uterus

h) Retention of placenta
i) Dystokia
j) Dressing of navel cord in new born
k) Simple fracture
l) Tail Docking in case of injury/ infection
m) Indigestion
n) Anorexia
o) Tympany/bloat
p) Horn Injuries
q) Wild animal Attack
r) Natural Calamities
s) Accidents etc.

13. To perform Artificial Insemination in cows and buffaloes, its follow up and maintenance of record.
14. To register cattle / buffaloes for milk yield and to asist Veterinary Surgeons in organizing milk recordings / performance recording under various schemes of the department.
15. To help in extension activities for livestock owners regarding animals feeding, feed and fodder management, departmental schemes and programmes.
16. To collect, distribute, maintain stores of veterinary institutions and its record under the supervision of veterinary surgeon.
17. To ensure general maintenance and cleanliness of the equipments of institutions.
18. To maintain all the record of field veterinary Instiutions under the supervision of Veterinary Surgeons.
19. To assist Veterinary Surgeons in the establishment of livestock units and tagging of livestock as per departmental schemes and instructions.
20. To assist Veterinary Surgeons in organising various therapeutic / prophylactic / extension works related with mass animals treatments / vaccination camps.
21. To assist the Veterinary Surgeons in the implementaion of national/ state programmes / schemes launched by government from time to time for the welfare of livestock owners & public.
22. Any other duty, in the interest of department, assigned by the in charge Veterinary Surgeon and higher authorities.

पशु चिकित्सकों की डयूटियां

45 श्री बिशन लाल सैनी, एम.एल.ए. (रादौर)

क्या पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कृपया बताएंगे किः-

क) पशु चिकित्सकों तथा कंपांउडरों के कर्तव्यों की प्रकृति क्या है;

ख) क्या इनके कर्तव्य की प्रकृति में यह भी सम्मिलित है कि उपरोक्त कर्मचारी पशुओं की देखभाल तथा इलाज के लिए पशुओं के मालिक के घर जाना होगा; यदि नहीं, तो क्या यह उनके लिए न्यायसंगत है कि फीस लेने के बाद पशुओं के इलाज के लिए गांवों में जाते हैं?

जय प्रकाश दलाल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री

क) पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सा विकास सहायक (वी.एल.डी.ए.) का जॉब चार्ट क्रमशः अनुलग्नक - I व II पर संलग्न है।

ख) नहीं श्रीमान् जी, फीस लेकर पशुओं के इलाज के लिए गांवों में जाना उनके लिए न्यायसंगत नहीं है।

अनुलग्नक-।

पशु चिकित्सक (वी.एस.) पद के कर्तव्य

1. पशु चिकित्सालय में आने वाले आंतरिक एवं बाह्य मामलों का उपचार।
2. नगर पालिका समिति के पास आवश्यक स्टाफ की कमी होने पर स्थानीय बूचड़खाने में वध किए गए पशुओं का मृत्यु पूर्व और मृत्यु उपरांत परीक्षण।
3. पशुओं के संक्रामक रोगों की रोकथाम।
4. क्षेत्र में अनुपयुक्त नर पशुओं का बधियाकरण।
5. पशु प्रजनन।
6. पशु प्रजनन, आहार तथा प्रबंधन से संबंधित प्रचार कार्य।
7. पशुओं के बीमा संबंधी कार्य।
8. उच्च दूध उत्पादन वाली मुर्राह भैंसों और उनके कटड़ों की पहचान करना।
9. स्वास्थ्य देखभाल शिविरों, बांझपन शिविरों और कृमिनाशक शिविरों का आयोजन करना।
10. सरकार द्वारा समय-समय पर पशुपालकों तथा लोगों के कल्याण हेतु शुरू की गईं विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजकीय कार्यक्रमों / स्कीमों को लागू करना।
11. पशुओं के उपचार / टीकाकरण शिविरों से सम्बन्धित विभिन्न चिकित्सीय / रोग निरोधी / प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन और पर्यवेक्षण।

अनुलग्नक-।।

पशु चिकित्सा विकास सहायक (वी.एल.डी.ए.) पद के कर्तव्य

1. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 (1940 का 23) के अन्तर्गत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 की "अनुसूची एच" में निर्दिष्ट दवाओं का, पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा नियत अनुसार प्रयोग और क्रियान्वयन।

2. चिकित्सीय दवाओं का संयोजन और वितरण।

3. दर्दनाशक, ज्वरनाशक दवाओं और अन्य मुँह द्वारा दी जा सकने वाली दवाओं के माध्यम से प्रारंभिक पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करना।

4. बधियाकरण, डी- हॉर्निंग, डिस-बडिंग और डी-बीकिंग करना।

5. सर्जिकल/प्रसूति रोग संबंधी मामलों के उपचार में पंजीकृत पशु चिकित्सक की सहायता करना।

6. पशुओं का रोग निरोधी टीकाकरण।

7. घावों, बाहरी/सतही रक्तस्त्राव, फोड़ा, सतही जलन आदि जैसी बीमारियों का निपटान करना।

8. मुँह व खुर, थनैला तथा स्टॉमाटाइटिस आदि बीमारियों में रोगाणुरोधक/औषधी से मुंह, खुर, पैर, थन आदि को धोना।

9. प्रयोगशाला परीक्षण हेतु रक्त, सीरम, मल, मूत्र, वीर्य, दूध और अन्य नमूने एकत्र करना और प्रयोगशाला भेजना।

10. संक्रामक रोगों की निगरानी, प्रयोगशाला जांच और प्रकोप नियंत्रण उपायों सहित अन्य संबंधित तकनीकी कार्यों में सहायता करना।

11. रोग संबंधी आंकड़े एकत्र करना, संकलित करना, अनुरक्षण करना और रिपोर्ट करना।

12. आपात स्थिति सहित विभिन्न बीमारियों के मामलों में प्राथमिक तौर पर पशुचिकित्सा प्रदान करना, जैसेः

    क) आसमानी बिजली का आघात
    ख) लू लगना / शीत दंश
    ग) बिजली का झटका
    घ) जहर के मामले
    ड़) सांप का काटना
    च) डूबना
    छ) योनि/गर्भाशय का आगे बढ़ना
    ज) गर्भनाल का प्रतिधारण
    झ) कठिन प्रसव

ञ) नवजात पशु की नाभि रज्जु की मरमह पट्टी करना
ट) साधारण फ्रैक्चर
ठ) चोट/संक्रमण के मामले में पूंछ काटना।
ड) बदहजमी
ढ) भूख ना लगना
ण) टिम्पनी/अफारा
त) सींग की चोट
थ) जंगली जानवरों का हमला
द) प्राकृतिक आपदा
ध) दुर्घटना आदि

13. गायों और भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान करना, उसका अनुश्रवण एवं रिकार्ड का रख-रखाव करना।

14. विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत दूध उत्पादन हेतु गाय / भैंसों का पंजीकरण एवं दूध रिकार्डिंग / प्रदर्शन रिकार्डिंग के आयोजन में पशु चिकित्सकों की सहायता करना।

15. पशुपालकों के लिए पशु आहार एवं चारा प्रबंधन, विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार गतिविधियों में सहायता करना।

16. पशु चिकित्सक के पर्यवेक्षण में पशु चिकित्सा संस्थाओं के भण्डार एवं उसके रिकार्ड का संग्रहण, वितरण, अनुरक्षण करना।

17. संस्थाओं के उपकरणों का सामान्य रखरखाव एवं साफ-सफाई सुनिश्चित करना।

18. पशु चिकित्सकों की देख-रेख में क्षेत्रीय पशु चिकित्सा संस्थानों के सभी रिकार्ड बनाए रखना।

19. विभागीय स्कीमों एवं निर्देशों अनुसार पशुधन इकाईयों की स्थापना में पशु चिकित्सकों की सहायता एवं पशुओं की टैगिंग करना।

20. पशुओं के उपचार/टीकाकरण शिविरों से सम्बन्धित विभिन्न चिकित्सीय / रोग निरोधी / प्रचार कार्यक्रमों के आयोजन और पर्यवेक्षण में पशुचिकित्सकों की सहायता करना।

21. सरकार द्वारा पशुपालकों और जनता के कल्याण हेतु समय-समय पर शुरू किए गए राष्ट्रीय / राजकीय कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में पशु चिकित्सकों की सहायता करना।

22. प्रभारी पशु चिकित्सक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा विभाग के हित में सौंपा गया कोई अन्य कार्य।